

राज्य शासन ने लया पेंशनरों के हति में बड़ा फैसला

चर्चा में क्यों?

31 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क वभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने पेंशनरों के हति में बड़ा फैसला लेते हुए पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 221% और सातवें वेतनमान में 42% की दर से महुँगाई राहत स्वीकृत की है। बढी हुई राशि अगस्त, 2023 से देय होगी।

परमुख बढि

- जानकारी के अनुसार छठवें वेतनमान में महुँगाई राहत की वृद्धि 9% और सातवें वेतनमान में महुँगाई राहत की 4% दर से बढोतरी हुई है। इससे पहले उन्हें 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212% की दर से और सातवें वेतनमान में 38% की दर से महुँगाई राहत मलि रही थी।
- आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महुँगाई राहत देय होगी। महुँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानवृत्त, असमर्थता तथा कषतपूरति पेंशन पर देय होगी।
- सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार कये गए अनुकंपा भत्ते पर भी महुँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महुँगाई राहत वत्ति वभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।
- यदा किसी व्यक्त को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महुँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
- यदा पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो उसे पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महुँगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों, जनिहोंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महुँगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।
- यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जनिहोंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों/मंडलों/नगिमों आदि में संवलयिन पर एकमुशत राशि आहरति की है और जो पेंशन के एक-तहिाई हसिसे के परत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
- महुँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूरण भाग को अगले रुपए में पूरणांकति कया जाएगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जाँच करने तथा वसिंगति की स्थति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के नरिदेश दये गए हैं।
- सभी पेंशन संवतिरणकर्त्ता अधिकारियों को नरिदेशति कया गया है कवि मध्य प्रदेश कोषालय संहति 2020 के प्राधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत महुँगाई राहत का भुगतान सुनश्चति करें।